न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 219/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/352)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्यालेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. अजीतपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्यालेवाला, तहसील श्रीकरनपुर ।		1. कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ ज्यालेवाला, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 08.11.2024

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

2. श्री प्रेम कुमार, श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

——निर्णय—— दिनांकः 14.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी के खाता संख्या 62/59, 51/50, 79/77, 102/100 में कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही गांव व पहचान के सदस्य है और उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि का आपसी सहुलियत के अनुसार पिछले 10-12 वर्षो से सहमति से रकबा का अपनी सुविधाओ के अनुसार सहमति से विभाजन किया हुआ है। बंटवारानामा अनुसार चक 19 एफ के मुरब्बा नं0 9 की कुल 1.518है0 नहरी भूमि में से कुलविन्द्र कौर के हिस्सा की कुल 0.582है0 भूमि में से 0.573है0 भूमि पर वादी अमनदीप सिह का कब्जा काश्त है। चक 19 एफ के मुरब्बा नं0 63, 64, 65 में कुल 7.968है0 भूमि में से अमनदीप सिह की हिस्सा की 0.573है0 भूमि तथा मुरब्बा नं0 19, 23, 24, 48, 59, 77, 86/3, 86/35 में कुल 4.072है0 भूमि में से वादी संख्या 2 अजीतपाल सिह के हिस्सा की कुल 0.379है0 भूमि में से 0.126है0 भूमि कुल 0.699है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर का कब्जा काश्त है। चक 19 एफ के मुरब्बा न0 09 में कुल 0.506है0 भूमि में से कुलविन्द्र कौर के नाम की कुल 0.253है0 भूमि में से 0.126है0 भूमि पर वादी संख्या 2 अजीतपाल सिह का कब्जा काश्त है। इस प्रकार से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने उक्त रकबा के किलाजात पर शांतिपूर्वक, निर्बाध निरंतर रूप से कब्जा काश्त है और भूमि का उपयोग कर रहे है। राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि अलग-अलग खातो में वर्णित है और कब्जा भी सहमति उसी प्रकार से किया हुआ है, लेकिन उक्त भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में एक दूसरे पक्षो के नाम से आज तक अंकित है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा कि वह सहमति से उक्त भूमि का कब्जा काश्त के अनुसार हिस्सा का अंकन करवा देवे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा आज कल का कहकर टाल मटोल की जा रही है और कोई संतोषजनक जवाब नही दे रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही गांव के निवासरत होने के कारण, उन पर कभी अविश्वास होने का कारण पैदा नही हुआ है, लेकिन वर्तमान में कब्जा काश्त के अनुसार भूमि दर्ज नही होने के कारण काफी असुविधा होती हैं। आज से 5 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से रकबा का अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया है, क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी पैदा हो चुकी है वह वादीगण को उक्त भूमि का अंकन नही करवाना चाहती है। यही वाद कारण है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 19 एफ के मुरब्बा नं0 9 की कुल 1.518है0 नहरी भूमि में से कुलविन्द्र कौर के हिस्सा की कुल 0.582है0 भूमि में से 0.573है0 भूमि का वादी अमनदीप सिह को खातेदार घोषित किया जावे व उसके नाम से राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने की डिक्री पारित की जावे। चक 19 एफ के मुरब्बा नं0 63, 64, 65 में कुल 7.968है0 भूमि में से अमनदीप सिह की हिस्सा की 0.573है0 भूमि तथा मुरब्बा नं0 19, 23, 24, 48, 59, 77, 86/3, 86/35 में कुल 4.072है0 भूमि में से वादी संख्या 2 अजीतपाल सिह के हिस्सा की कुल 0.379है0 भूमि में से 0.126है0 भूमि कुल 0.699है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर को वादी अमनदीप सिह को खातेदार घोषित किया जावे व उसके नाम से राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने की डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पारित की जावे। चक 19 एफ के मुरब्बा न0 09 में कुल 0.506है0 भूमि में से कुलविन्द्र कौर के नाम की कुल 0.253है0 भूमि में से 0.126है0 भूमि का वादी संख्या 2 अजीतपाल सिह को वादी अमनदीप सिह को खातेदार घोषित किया जावे व उसके नाम से राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने की डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवावदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादी का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। प्रतिवादी को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति सावित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/50 में कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह के नाम 0.573 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 1 अमनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह को व राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 102/100 में कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह के नाम 0.126 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 अजीतपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह को तथा राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 62/59 में वादी संख्या 1 अमनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम 0.614 हैक्टेयर भूमि में से 0.573 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह को व राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 79/77 में वादी संख्या 2 अजीतपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज 0.380 हैक्टेयर भूमि में से 0.126 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अमनदीप सिंह बनाम कुलविन्द्र कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर 219/2024
निर्णय दिनांक :- 14.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/50 में कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह के नाम 0.573 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 1 अमनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह को व राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 102/100 में कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह के नाम 0.126 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 अजीतपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह को तथा राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 62/59 में वादी संख्या 1 अमनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम 0.614 हैक्टेयर भूमि में से 0.573 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह को व राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 79/77 में वादी संख्या 2 अजीतपाल सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज 0.380 हैक्टेयर भूमि में से 0.126 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 कुलविन्द्र कौर पत्नी सरजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 14.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	200	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**204**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांकः 14.01.2025

क्रमांकः रीडर/2025/20

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर